


58
22

पन्नावली प्रशासक) वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी श्रीमानजी प्रार्थना पत्र
 में उपस्थित है। श्रीमानजी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि
 कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी का नाम
 रामकुमार की बजाय राजकुमार रिखा जाना उचित है।
 प्रार्थी वकील व प्रार्थी के निवेदन पर राजकुमार रिखा
 बहल प्रार्थना पत्र संवर्ण की गई। पन्नावली का राजकुमार रिखा
 दफ्तारपूर्वक आवेदन रिखा गया एवं बहल पर राजकुमार रिखा
 रिखा रिखा। दस्तावेज एवं तहसीलदार गुडगाँव
 की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिखा
 रिखा जाना उचित व-जापोसित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का नाम
 रामकुमार की बजाय
 राजकुमार रिखा
 जाना उचित है।


 25/8/22
 तहसीलदार
 गुडगाँव



रूप

कार्यवाही विवरण

जारी का प्रथम पत्र सं. खारा 136 RTI
होकर किया जाता है तथा तदनुसार गुणों
के विशेषता किया जाता है कि ग्राम और वना
जवाहर हल्का मैनपुरा के भूमि क्र. नं. 580/50
रकबा 1.88 है से वर्ष खेतवा रामकुमार को
रामकुमार पुरानत किया जावे) पत्तावली के
जुमा होकर सम्बन्धित काम हो तथा दाखिल हो

दा) अथ ह
25/8/2